राजस्थान सरकार

(कायदा – 129)

जनरल रूल्स सिविल रूल्स 129 अपेन्डेंक्स फार्म नंबर 8 के

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बिजौलिया जिला – भीलवाड़ा (राज.)

2025/55

किस्म मुकदमा 1	नंबर मुकदमा 2	तारीख दायर 3	तारीख फैसला 4	पेशी दिनांक 5
111-128 प्रार्थना-पत्र	38/25 38/25	25/2/25		10/3/25 17/3/25 24/3/25

अनवान

श्री जमनालाल पुत्र नन्दा डिक्रीदार बिजौलिया

श्री किशनलाल पिता नन्दा मदयून केशरगंज

श्री J.C.D.

श्री

FORM NO. III

फर्द अहकम

Crim I

नियम 26

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम **बिजौलियां, भीलवाड़ा**

जमनालाल बनाम किशनलाल

कैफियत मुकदमा 111-128 प्रकरण संख्या 38 सन् **2025**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible] 2025	प्रार्थना–पत्र सीगे से बाद जांच पेश हुआ। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों की तलबी जरिये सम्मन मय नकल प्रार्थना–पत्र, विपक्षीगणों को भेजी जावें। पत्रावली आगामी पेशी दिनांक 10/3/2025 को वास्ते तलबी/जवाब पेश हों। उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां	
10/3/25	पत्रावली पेश हुई। [illegible] वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान [illegible] दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 17/3/25 वास्ते उ. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
17/3/25	पत्रावली पेश हुई। अभिभावक वादी/प्रतिवादी उपस्थित श्रीमान PO [illegible] दौरे पर हैं। पत्रावली दिनांक 24/3/25 वास्ते उ. आदेश पेश हो। उपखण्ड अधिकारी	
24/3/25	पत्रावली पेश हुई। विपक्षी बाद [illegible] अनुपस्थित। विपक्षीगणों के विरुद्ध एक-पक्षीय आदेश पारित किए गए। पत्रावली में आदेश पारित किए गए। पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो। **उप खण्ड अधिकारी** **बिजौलियां जिला-भीलवाड़ा**	

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

प्रकरण संख्या 38/2025 दायर दिनांक 25/2/2025

1. जमनालाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवारी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. नाथुलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवारी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. प्रभुलाल पुत्र पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. सुवालाल पुत्र पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहरीस बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
5. मोत्याबाई पत्नि पुत्र स्व0 नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवारी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
6. सीताबाई पुत्री पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवारी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

................प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता नन्दा जाति अहीर उम्र वयस्क निवारी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
2. सत्यनारायण पिता नन्दा जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. छोटूलाल पिता नगजीराम जाति माली उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. ताराचन्द पिता नगजीराम जाति माली उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा

......विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट

दिनांक 24/07/2025

– : आदेश : –

प्रार्थना पत्र हम जमनालाल, नाथुलाल, प्रभुलाल, सुवालाल सीताबाई पिता नन्दा, मोत्याबाई पत्नि नन्दा जाति खटीक उम्र सभी वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0 जरिये अभिभाषक **श्री जगदीश चन्द धाकड़ एडवोकेट** प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि मौजा ग्राम बिजौलियाकलां पटवार हल्का बिजौलियाकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 780 पर अंकित आराजी 650 कुल किता 01 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भुमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर लडाई झगडा करते है। अतः पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावें। साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथ पत्र संलग्न है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 के अवलोकन से प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पडोसीयान के विवाद करने बाबत् शपथ पत्र संलग्न है पत्थरगढी से किसी स्वत्व पर कोई विपरित प्रभाव नही पडता है। **भु–अभिनिरक्षिक** **बिजौलियाकलां** को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी अदा करेगा ।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार मौजा ग्राम बिजौलियाकलां पटवार हल्का बिजौलियाकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 780 पर अंकित आराजी 650 कुल किता 01 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भुमि बिशामलाती पडोसीयान के पत्थरगढी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढी शुल्क राशि 100/– रूपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियां को लिखा जावें।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हों।

आदेश सुनाया गया।

उपखण्डअधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

क्रमांक संख्या – 38 / 2025 दिनाक – 25 / 2 / 2025

प्रति :–
तहसीलदार बिजौलियां
विषय – प्रकरण संख्या 58 / 2025 पत्थरगढी बाबत ।

न्यायालय

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय
बिजौलियाँ, जिला भीलवाडा (राज.)।

1. जमनालाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
2. नाथुलाल पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
3. प्रभुलाल पुत्र पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
4. सुवालाल पुत्र पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
5. मोत्याबाई पत्नि पुत्र स्व0 नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0
6. सीताबाई पुत्री पुत्र नन्दा जाति खटीक उम्र वयस्क निवासी बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा राज0

.......प्रार्थीगण

बनाम

1. किशनलाल पिता नन्दा जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा
2. सत्यनारायण पिता नन्दा जाति अहीर उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
3. छोटूलाल पिता नगजीराम जाति माली उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा
4. ताराचन्द पिता नगजीराम जाति माली उम्र वयस्क निवासी केशरगंज बिजौलिया तहसील बिजौलिया जिला भीलवाडा ......विपक्षीगण

उपर्युक्त विषयान्तर्गत अनुवान प्रकरण में आदेश होकर लेख है कि मौजा ग्राम बिजौलियाकलां पटवार हल्का बिजौलियाकलां तहसील बिजौलियाँ की सरहद में स्थित खाता संख्या 0 पर अंकित आराजी 650 कुल किता 01 रकबा 0.4128 हैक्टेयर भुमि की बशामलाती पडौसीयान की पत्थरगढी की जावें मौके पर पत्थरगढी के दौरान कब्जा किसी अन्य का पाया जावे तो जरिये पत्थरगढी कब्जा नही हटाया जावें। तथा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने हेतु सुचित करें। **भु–अभिनिरक्षिक बिजौलियाकलां** को कमिश्नर नियुक्त किया गया व फीस नियमानुसार पत्थरगढी बेवक्त प्रार्थी से अदा करेगा। पत्थरगढी करने के पुर्व में विपक्षीगणो एवं पडौसीयान को नोटिस देकर सुचित करते हुये पत्थरगढी करे।

पत्थरगढी कर पालना रिपोर्ट 20 दिन में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया